भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 442

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध

442. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 मौजूद है;

(ख) क्या सभी राज्यों द्वारा इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता है;

(ग) क्या किसी राज्य द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य में ऐसा कोई स्थान है जहाँ अभी भी हाथों से मानव मल हटाने की प्रथा है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मानव मल को एकत्रित करने और उसके निपटान के लिए हमारे देश में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): संसद ने देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013) अधिनियमित किया है।

(ख): राज्यों द्वारा एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किया जाता है।

(ग): किसी भी राज्य से उल्लंघन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के प्रावधान के अनुसार, 6.12.2013 से देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक प्रतिबंधित गतिविधि है। उपरोक्त तिथि से कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के काम पर नहीं लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो किसी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के काम पर लगाती है और एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से हाथ से मैला ढोने की प्रथा की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 में एक घटक अर्थात प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल है, जिसका एक उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में खतरनाक प्रवेश को बंद करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से समाप्त करना और सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए केंद्रीय हिस्से की निधि पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग उपकरणों की खरीद करने के लिए जारी की जाती है।

एसबीएम-यू 2.0 के यूडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत, 317 डीस्लजिंग वाहनों, 1617 सीईएसएस पूल टैंकरों और 517 अन्य सफाई उपकरणों की खरीद के लिए अब तक 358.26 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्से की निधियों का अनुमोदन किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवरों की यांत्रिक एवं मैनुअल सफाई तथा सेप्टिक टैंकों को खाली करने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित एसओपी जारी की है, इसके साथ ही सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई पर सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया है।

******